बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार तिथि, १४ दिसम्बर, १९६५ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

वेतन का भुगतान।

९। श्री बदरी महरा—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड माध्यमिक विद्यालय, विजयपुर, थाना भोरे, जिला सारन के सभी शिक्षकों का माह जून सन् १९६५ ई० का वेतन नहीं देने का क्या कारण है ?

*श्री गिरीश तिवारी—सारन जिला के बोर्ड माध्यमिक विद्यालय, विजयपुर, थाना भोरे के सभी शिक्षकों के माह जून, १९६५ का वेतन छपरा के डाकखाना मनीआर्डर रसीद नं० २९२२, दिनांक २२ जुलाई १९६५ के द्वारा भेज दिये गये हैं।

श्री बदरी महरा—मैं यह जानना चाहता हूं कि कब भेजा गया है ? क्योंकि उत्तर नहीं सुनाई दिया है।

श्री गिरीश तिवारी—अभी तो बतलाया गया कि २२ जुलाई १९६५ को।

अध्यक्ष—एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि बाबूजी १२ बजे कै बजता है। (हंसी)

श्री बदरी महरा—मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी देर क्यों हुई ?

श्री गिरीश तिवारी—इसके बारे में पूछताछ की जायेगी कि क्यों देर हुई। लेकिन जो भी हो रुपये उन्हें भेज दिये गये हैं।

श्री बदरी महरा—जून महीने से आजतक औफिस में शिक्षकों के वेतन पड़े हुए थे और इस बीच में शिक्षकों ने लिखापढ़ी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बीच में इस संबंध में सरकार ने कौन-सा प्रयास किया ?

श्री गिरीश तिवारी—कहा गया कि 'ऑफिस में उनके वेतन के रुपये पड़े हुए थे इसका मानी हमने नहीं समझा। ऑफिस में पड़े रहने का सवाल कहां है। रुपया सरकार के खजाने में रहता है।

श्री मो० युसुफ खां के बकाये की चुकती।

१०। श्री मो० समीनुद्दीन—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बांका के कृषि निरीक्षक मो० युसुफ खां १६ नवम्बर १९६२ को बांका से अवकाश प्राप्त किये हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि अवकाश प्राप्त करने के पूर्व दस वर्ष से इनको वार्षिक वेतन-वृद्धि नहीं मिला है;

(३) क्या यह बात सही है कि इनको पेंशन की रकम अबतक नहीं मिली है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करना चाहती है?

*श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) श्री खां की सेवा-पुस्तिका (सर्विस बुक) में १९५३ से १९६२ तक कोई इंद्राज (इन्ट्री) नहीं है। इसलिये यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उक्त अवधि में उन्हें वार्षिक वृद्धियां मिलीं या नहीं।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) सेवा-पुस्तिका को पूरी कराने और इनकी सारी सेवाओं का सत्यापन कराने के लिये एक विशेष दूत भेजा गया है। चूंकि कुछ अर्से तक इन्होंने सहकारिता और आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभागों में भी काम किया था, अतः इन विभागों से भी सेवा-पुस्तिका सत्यापन-प्रतिवेदन मांगा गया है। सेवा-सत्यापन के बाद इनके पेन्शन की रकम शीघ्र ही निश्चित कर दी जायेगी।

*श्री मो० समीनुद्दीन—मैं यह जानना चाहता हूं कि पेंशन की रकम जो अभीतक उन्हें नहीं मिल सकी इसमें कौन-सी कठिनाई थी?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इसका अभी जवाब दे दिया है।

श्री शकूर अहमद—हुजूर, १९६२ में उन्हें पेंशन हुई और अभी जवाब में कहा गया कि १० वर्षों का वृद्धि का पता नहीं है कि उन्हें मिली या नहीं, तो इसका पता कैसे लगेगा और कौन बतलायेगा?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—जैसा मैंने कहा कि कुछ दिनों तक उन्हें सहकारिता विभाग और वाणिज्य विभाग में भेज दिया गया था और उस पीरियड के बारे में उनकी सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज नहीं मिलती है कि उन्हें वार्षिक वृद्धि मिली या नहीं। उस विभाग से

अभीतक इसकी सूचना नहीं मिली है। १९६२ में उनकी सेवा-निवृत्ति हुई तो उस विभाग को कागजात भेजे गये हैं सत्यापन के लिये। सत्यापन के बाद और कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष—मेरे पास भी इस तरह की शिकायतें आती हैं कि अभीतक पेंशन नहीं मिली और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मर जाने के बाद पेंशन तय होती है, तो ऐसा किया जाये कि वित्त विभाग में एक ऐसी शाखा बना दी जाये जो पेंशन के मामले को देखे।

*श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—ऐसी शाखा है।

श्री शकूर अहमद—अभी कहा गया कि और विभागों से पूछना है कि उन्हें वार्षिक वृद्धि मिली या नहीं। लेकिन माननीय मंत्री के विभाग का जहांतक सरोकार है वहां वृद्धि मिली या नहीं इसका पता चलने में क्या दिक्कत है?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—मेरे पास जो सामग्रियां उपलब्ध हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि उनकी चरित्र-पुस्तिका में बहुत सारी इरेगुलरिटीज थीं जिनको रेगुलराइज करने की बात सोची गयी है। ऐसा करने में उन विभागों से भी पूछताछ करने की जरूरत है।

श्री शकूर अहमद—अध्यक्ष महोदय, वार्षिक वृद्धि से इरेगुलरिटी का सवाल कहां से आता है?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, रेकर्ड में यह है कि कुछ जगहों में असंतोषप्रद सेवा की वजह से उनकी वार्षिक वृद्धि रोक दी गयी, इसलिये वेतन जितना दिया जा रहा है वह कम है, जितना मिलना चाहिए उतना उन्हें नहीं मिलता है। इसके बारे में विभाग जानने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री शकूर अहमद—अध्यक्ष महोदय, मेरी नियमावली है। पहले कहा गया कि ऐसी बात नहीं है और अब कहते हैं कि रोक दिया गया है। सरकार दो तरह का जवाब एक ही सवाल का क्यों देती है?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—जबतक ठीक से जांच नहीं हो जाती है और विभाग को सूचना नहीं मिल जाती है तबतक कुछ विचार देना मुश्किल है। विभाग जानने का प्रयास कर रहा है कि क्या बात है। जानने के बाद कुछ फैसला किया जायेगा।

अध्यक्ष—मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि पेंशन के लिये लोगों को आकर्षण होता है, इसलिये यदि मुख्य मंत्री उचित समझें तो इसके लिये कुछ करें। सर्विस के बाद कुछ ऐडहौक तय कर दिया जाय। ऐडहौक कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पेंशन पाने के दो वर्ष पहले, जिनको पेंशन मिलता है उनको सूचना देनी चाहिए। लेकिन लोग

देते नहीं हैं, एक्सटेंशन के लिये लोग ऐसा करते हैं। आपने जो कहा है उसपर पहले ही मैंने कार्रवाई की है कि हरएक डिपार्टमेंट में पेंशन को देखा जाय ताकि देर न हो। हम देखते हैं कि पेंशन के मामले में सिर्फ विभाग का ही दोष नहीं रहता है, पानेवाला का भी दोष रहता है।

अध्यक्ष—स्टीन वर्क की तरह आप पहले तय कर लीजिये।

औरा मध्यम सिंचाई योजना का कार्यान्वयन।

१२। श्री वृजमोहन सिंह—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद प्रखंड (गया) के औरा मध्यम सिंचाई योजना का अभिलेख अधीक्षण अभियंता, लघु-सिंचाई अंचल, पटना के पास गत छः महीनों से उनकी तकनीकी स्वीकृति हेतु पड़ा हुआ है; यदि हां, तो क्यों तथा सरकार इसका कार्यान्वन कबतक करना चाहती है?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) प्रश्न के प्रथम खंड का उत्तर नकारात्मक है। इस योजना का अभिलेख अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना के कार्यालय में दिनांक २४ सितम्बर १९६५ को प्राप्त हुआ है। योजना की छानवीन की जा रही है। शीघ्र स्वीकृति देकर कार्यान्वयन कराया जायेगा।

*श्री वृज मोहन सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को मैंने ४ खंडों में पुछा था, लेकिन तोड़ मरोड़ कर १ खंड में कर दिया गया है, इसलिये मेरा मतलब साफ नहीं होता है।

अध्यक्ष—अभी इसपर आप जो पूछना चाहते हैं उसे पूछिये।

श्री वृज मोहन सिंह—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह योजना लघु सिंचाई, अवर प्रमंडल से सर्वेक्षण के बाद कब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पहुंचा और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कितने दिनों तक अपने यहां योजना रखकर अधीक्षण अभियंता के पास भेजा?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—कार्यपालक अभियंता के पास कब पहुंचा है इसकी सूचना नहीं है। लेकिन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, गया ने २२ सितम्बर १९६५ को अधीक्षण अभियंता के पास भेजा है।

श्री वृज मोहन सिंह—अधीक्षण अभियंता तकनीकी स्वीकृति देते हैं और मेरा कहना है कि ६ महीनों से अधीक्षण अभियंता के पास पड़ा हुआ है।

इस दरम्यान में कार्यपालक अभियंता चार-छः महीने रखे हों। मेरा आरोप सही था कि ६ महीने से अधिक समय लग गया जब योजना भेजी गयी थी। क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना को तकनीकी स्वीकृति देते हुए कबतक कार्यान्वित करेंगी?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—१० दिनों के भीतर जांच करके स्वीकृति दे दी जायगी।